न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष– रेखा देवी पति बालेश्वर सहिं बगैरह.........।

बनाम

वाद सं0 51/2020

द्वितीय पक्ष– दस्मी देवी पति उदय सिंह बगैरह..

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
6/11/20	उक्त वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं0 23/2020 दिनांक 17/09/2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है प्रथम पक्ष (1) रेखा देवी उम्र 32 वर्ष पति बालेश्वर सिंह (2) बालेश्वर सिंह पिता लक्ष्मीनाथ सिंह दोनो ग्राम कौआ टोली बधिमा थाना पालकोट बनाम **द्वितीय पक्ष** (1) दस्मी देवी उम्र 35 वर्ष पति उदय सिंह (2) उदय सिंह पिता स्व0 मनमेाहन सिंह दोनो पिता कौआटोली बसिया थाना पालकोट के बीच रूपय की लेन देन को लेकर आपसी विवाद है । उभय पक्षो के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्य से उपस्थित हुए :– वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है। वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कुरकुरा या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है। उभय पक्ष न्यायालय के बाहर अपसी समझौता कर अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उक्त वाद को सुलहनामा कर वाद की कार्रवाई को समाप्त करने हेतु सुलहनाम दाखिल किया गया। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई सुलहनामा के आधार पर वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला) [मुहर] [हस्ताक्षर] 6/11/20 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)। लेखापित । [हस्ताक्षर] अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)।	

Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM
Date: 2024.09.05 15:08:14 +05:30
Location: 192.168.1.2